संख्या-43/2025/779/12-5/39/2023/1773117

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   राजस्व विभाग / चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग / उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/पंचायती राज विभाग / ग्राम्य विकास विभाग / आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक: 24 जून, 2025**

विषयः- एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री सम्बन्ध में दिनांक 25 जून, 2025 से दिनांक 25 जुलाई, 2025 तक विशेष सत्यापन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कृषि अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023, दिनांक 12 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-8 में 01 जुलाई, 2024 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री तैयार किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। इसके उपरान्त शासनादेश संख्या-61/2024/1337/12-5-2024/1803641/12-5/39/2023, दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के सम्बन्ध में दिनांक 18 नवम्बर से 31 दिसम्बर, 2024 तक विशेष अभियान भी चलाया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत आने वाले किसानों के ऑकड़ों के सम्बन्ध में बड़ी मात्रा में गलत डाटा (False Data) होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। इसके दृष्टिगत दिनांक 25 जून, 2025 से 25 जुलाई, 2025 तक विशेष सत्यापन अभियान जनपदों में चलाया जाये। इस अभियान का अनुश्रवण मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा किया जायेगा व इसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक की जायेगी।

जिन प्रकरणों में फार्मर आई.डी./किसान पहचान पत्र तैयार हो गया है, उनमें किसान के वास्तव में होने की पुष्टि हो गयी है, किन्तु जिन किसानों की फार्मर आई.डी. नहीं बनी है, उनकी पुष्टि जनपदों में की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ कृषि निदेशालय में दैनिक सूचना हेतु कन्ट्रोल रूम / हेल्पडेस्क (फोन नम्बर-0522-2317003) की स्थापना की गयी है।

3- उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-43/2025/779(1)/12-5/39/2023/1773117 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी. कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र० ।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र० ।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव , उ०प्र० शासन।
6. निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.g

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।